पत्रांक–1/PMC/बैठक/110/2011–Part-V 226

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 राजीव कुमार
संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित)
जल संसाधन विभाग,
निदेशक, वाल्मी, पटना।

पटना, दिनांक– 21/3/2017

विषयः– मुख्य अभियंता प्रक्षेत्रों के नोडल पदाधिकारियों की आगामी बैठक में कार्यपालक अभियंता से अन्यून स्तर के पदाधिकारियों को भाग लेने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि दिनांक 20.03.2017 के मुख्य अभियंता प्रक्षेत्रों के नोडल पदाधिकारियों की बैठक में समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मुख्य अभियंता परिक्षेत्र के नोडल पदाधिकारी के रूप में सहायक अभियंता भी भाग लेते है, जिन्हें समीक्षा के विषयों की जानकारी नहीं होती है, जिसके फलस्वरूप बैठक में विभिन्न विषयों पर समीक्षा करने में कठिनाई होती है तथा साथ ही बैठक में दिए गए निदेशों का अनुपालन भी ससमय नहीं हो पाता है।

अतः निदेशित किया जाता है कि मुख्य अभियंता प्रक्षेत्रों के नोडल पदाधिकारियों की आगामी बैठक में अधीक्षण अभियंता ही बैठक में भाग लें। विशेष परिस्थिति में कार्यपालक अभियंता से अन्यून स्तर के पदाधिकारी भाग लेंगे।

साथ ही बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन अगली बैठक के एक सप्ताह पूर्व हार्ड एवं साफ्ट कापी में विभाग को अचूक रूप से उपलब्ध करा दें जिससे उसे समेकित कर अगली बैठक में समीक्षा की जा सके।

विश्वासभाजन

21/3/17
(राजीव कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 1/PMC/बैठक/110/2011–Part-V-226 पटना/दिनांक– 21/3/2017

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव के निजी सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2/3/4/बाढ़ नियंत्रण/सिंचाई, पटना/अधीक्षण अभियंता, काडा/संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, पटना/सभी उप सचिव/अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/सहायक विधि पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

21/3/17
(राजीव कुमार)
संयुक्त सचिव

fazal/ draft 73